सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-195/2022 दिनांक- 20-जुन-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कोतवाली

लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.6.22 को उ.नि. विनय दूबे मय हमराह द्वारा मु.अ.स. 261/22 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त प्रभात सैनी पुत्र स्व0 प्रहलाद सैनी निवासी मो0 कोट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को समय 10.30 बजे रोडवेज बस स्टैण्ड से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण - .

मु.अ.स. 261/22 धारा 363/366 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त .

प्रभात सैनी पुत्र स्व0 प्रहलाद सैनी निवासी मो0 कोट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

अपहृता/पीड़िता

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 विनय कुमार दूबे प्रभारी चौकी पहाड़पुर हे0का0 चन्द्रभान यादव , म0का0 अनामिका मिश्रा थाना कोतवाली, आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- निजामाबाद

हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 16.06.22 को वादी प्रदीप राम पुत्र राजेन्द्र राम निवासी ग्राम चकरोवां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि वादी के भाई दीपक राम को विपक्षी संतोष राम पुत्र खचांजी राम निवासी चकरोवां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ द्वारा एक धारदार हथियार चाकू से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया गया, जिससे काफी गहरी चोटे आयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 244/22 धारा 307/308 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2. गिरफ्तारी का विवरण - उ0नि0 ज्ञानप्रकाश तिवारी मय हमराही द्वारा फरिहा क्षेत्र में चेकिगं संदिग्ध व्यक्ति / वाहन में मामूर थे कि सूचना मिली मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. संतोष राम पुत्र खचांजी राम निवासी चकरोवां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ अपने घर पर मौजूद है। इस सूचना पर उ0नि0 मय पुलिस बल के

अभियुक्त के घर पहुंचे तो अभियुक्त घऱ पर मौजूद मिला जिसे पुलिस बल द्वारा कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया तथा मा0न्यायालय चालान किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 244/22 धारा 307/308 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1- संतोष राम पुत्र खचांजी राम निवासी चकरोवां थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 ज्ञान प्रकाश तिवारी थाना निजामाबाद आजमगढ़

2. हे0का0 फूलन यादव का0 शशांक पाण्डेय. का0 शुभम चौधरी थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना- फूलपुर

धारा 380 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की नगदी बरामद।

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनाक 19.06.2022 को श्री त्रोलकीनाथ चौबे पुत्र स्व0 रामनयन चौबे साकिन अम्बारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि जितेन्द्र बिन्द पुत्र रामअचल व अन्य अज्ञात साथियों द्वारा घर में घुसकर नगद 40,000 जो प्रार्थी के पुत्री के शादी में निमन्त्रण तहत मिला था व अन्य आभूषण को चोरी कर लिया गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/2022 धारा 380 भादवि वादी त्रिलोकीनाथ चौबे उपरोक्त बनाम 1. जितेन्द्र बिन्द पुत्र रामअचल साकिन मुस्तफाबाद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ व अन्य साथी नाम पता अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

2. गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 20.06.22 मै उ0नि0 मय हमराह कर्म0गण के चौकी अम्बारी से प्रस्थान कर देखभाल करते मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र बिन्द पुत्र राम अचल बिन्द सा0 मुस्तफाबाद थाना फूलपुर आजमगढ़ को समय करीब 05.25 बजे आम्बारी चौराहे के पास से हिरासत पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 217/2022 धारा 380 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जितेन्द्र बिन्द पुत्र राम अचल बिन्द सा0 मुस्तफाबाद थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी- 1. चोरी का रुपया मे से 1000 रुपया मात्र

गिरफ्तार करने वाली टीम

1उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 दीनबन्धु यादव व, का0 वीरेन्द्र यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

आज दिनांक- 20.06.2022 को मा0 न्यायालय सीजेएम आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 33/1993 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त उमाशंकर पुत्र झपसी निवासी वजीराबाद थाना फूलपुर, आजमगढ़ को 25 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 1000 रूपया अर्थदण्ड व जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किय गया है। अर्थदण्ड अदा करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतेगा।

थाना- बरदह

अवैध गांजा के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 20.06.22 को उ0नि0 महेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र रात्रिगस्त तलाश वाँछित अपराधी संदिग्ध व्यक्ति में भीरा तिराहे पर मौजूद थे कि सूचना मिली की चौकी गेट के पास एक व्यक्ति खड़ा है। जिसके हाथ मे लिए झोला मे गाँजा है। पकडा जा सकता है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराहियान द्वारा चौकी गेट के अंदर से उपरोक्त व्यक्ति को पकड लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मनोज राजभर पुत्र लेखई राजभर निवासी कुम्भ थाना बरदह जनपद आजमगढ उम्र- 19 वर्ष बताया तथा भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मेरे पास हाथ मे लिए झोले मे गाँजा है। इसलिए आप लोगो को देकर भाग रहा था। पकडे गये व्यक्ति द्वारा हाथ मे लिए प्लास्टिक के सफेद झोले को खोल कर देखा गया तो झोले के अंदर रखा पालिथीन मे गांजा जैसी वस्तु निकला , अभियुक्त का यह कार्य धारा 8/20 NDPS ACT का दण्डनीय अपराध बता कर समय करीब 5.40 बजे हिरासत में लिया गया। तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया ।

अपराध का तरीका- अभि0 द्वारा झोले मे अवैध गांजा की बिक्री हेतु ले जाना

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 203/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- मनोज राजभर पुत्र लेखई राजभर निवासी कुम्भ थाना बरदह जनपद आजमगढ

बरामदगी- एक झोले मे नाजायज 1.200 कि0ग्रा0 गांजा

पुलिस टीम-

महेन्द्र प्रताप सिंह (उ0नि0) मानचन्द (मुख्य आरक्षी) सुधाकर सिह (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ

प्रेस विज्ञप्ति

थाना तरवां

प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह कुंटू के सहयोगी प्रदीप सिंह द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से निर्मित महाविद्यालय, मकान, 02 चार पहिया व 01 दो पहिया वाहन (मूल्यांकन राशि- 1,37,56,503/- रूपये) को कुर्की का आदेश

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा आख्या के माध्यम से प्रभारी थानाध्यक्ष तरवां की आख्या संलग्न करते हुए थाना तरवा में पंजीकृत मु.अ.सं. 74/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त **प्रदीप सिंह पुत्र रामअवध सिंह निवासी ग्राम कबूतरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विश्वनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय कबूतरा ,पक्का मकान, 02 चार पहिया व एक दो पहिया वाहन की कुर्की का आदेश।**

➡ अभियुक्त प्रदीप सिंह द्वारा अपराध जगत की अर्जित संपत्ति से पक्का मकान एवं विश्वनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय कबूतरा आजमगढ़ बना लिया गया है उक्त विद्यालय का संचालन अभियुक्त प्रदीप सिंह के भाई विनोद सिंह के द्वारा किया जा रहा है विनोद सिंह इंटर कॉलेज के अध्यापक थे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं इतने बड़े महाविद्यालय के निर्माण के लिए अध्यापक की आय का स्रोत पर्याप्त नहीं है अभियुक्त प्रदीप सिंह द्वारा अपराध जगत से अर्जित संपत्ति को छिपाने के उद्देश्य से महाविद्यालय का निर्माण कर अपने भाई विनोद सिंह के नाम महाविद्यालय की मान्यता लेकर संचालन कराया जा रहा है ग्राम कबूतर आजमगढ़ में गाटा संख्या 337/मि./0.023हे. आबादी खाते की भूमि में निर्मित पक्का मकान (मूल्यांकन राशि 15,33,551/-) एवं ग्राम कबूतरा में गाटा संख्या-590/1.005 है एवं ग्राम कबूतरा में गाटा संख्या-590/1.005 हे. में विश्वनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय कबूतरा आजमगढ़ (मूल्यांकन राशि 1,04,81452/-) है.

➡अभियुक्त प्रदीप सिंह लगभग 15 वर्ष पूर्व सामान्य आर्थिक क्षमता का व्यक्ति था. परंतु अल्पावधि में ही अपराध जगत से अर्जित संपत्ति छुपाने के उद्देश्य से अपने भाई मनोज सिंह के नाम से एक स्कॉर्पियो UP50AW0111 (मूल्यांकन राशि 6,75,000/-), अपने दूसरे भाई अखिलेश सिंह के नाम से एक स्कॉर्पियो UP50BU8111 (मूल्यांकन राशि 10,50,000/-) व अपने रिश्तेदार अमनकांत सिंह निवासी किशनपुर थाना जहानागंज के नाम से मोटरसाइकिल पैशन प्रो UP50AC5741 (मूल्यांकन राशि 16,500/-) क्रय किया गया।

➡अभियुक्त प्रदीप सिंह के भाइयों और रिश्तेदार के पास आय का इतना बड़ा स्रोत नहीं था। उपरोक्त सभी अभियुक्त प्रदीप सिंह पर ही आश्रित हैं.

➡अभियुक्त प्रदीप सिंह आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह कुंटू का सहयोगी है तथा थाना तरवा का प्रचलित दुराचारी एच.एस. संख्या-62ए है.

➡ अभियुक्त पर वर्ष 2005 से वर्ष 2021 तक कुल 19 अपराध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों व जनपद लखनऊ के गोमतीनगर थाने में पंजीकृत दर्शाए गए हैं. जिनमें हत्या चोरी धोखाधड़ी षड्यंत्र व अवैध शराब के निर्माण व बिक्री से संबंधित गंभीर अपराध सम्मिलित हैं.

➡मु.अ.सं.- 05/2021 धारा 419/420/467/468/471/272 भादवि व 60/63/72 आबकारी अधिनियम बनाम अमरदीप सिंह आदि 06 नफर अभियुक्तों की विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

➡अभियुक्तों द्वारा छल व कूटरचित तरीके से 742 पेटी अपमिश्रित शराब का निर्माण/बिक्री किए जाने के कारण थाना तरवा जनपद आजमगढ़ पर मु.अ.सं.74/0212 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया. जिसकी विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त सम्पत्ति की कुल कीमत 1,37,56,503/- रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 17.06.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा तहसीलदार मेंहनगर, आजमगढ़ एवं थानाध्यक्ष तरवां, आजमगढ़ को उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करने आदेश दिया गया है।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना तरवां

प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी हरिकेश यादव द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से क्रय की गयी मोटर साइकिल (मूल्यांकन- 60,000/-रूपये) को कुर्की का आदेश

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा आख्या के माध्यम से प्रभारी थानाध्यक्ष तरवां की आख्या संलग्न करते हुए थाना तरवां में पंजीकृत मु.अ.सं. 160/2020 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त **हरिकेश यादव पुत्र फूलचन्द यादव, निवासी मोहासिल, थान जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित धनराशि से अपने भाई अवधेश यादव के नाम क्रय की गयी मोटरसाइकिल को कुर्की का आदेश।**

➡ मु0अ0सं0- 20/2014 धारा 147/148/149/302/307/506/120 बी भादवि थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ बनाम मुख्तार अंसारी आदि 11 नफर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। उक्त अभियोग में अभियुक्तों द्वारा संगठित रूप से सड़क का ठेका छोड़ने व दबाव बनाने के लिए सड़क पर काम कर रहे लेबर रामइकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी गयी तथा पांचू को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसे आधार बनाकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 160/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया- कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया।

➡अभियुक्त हरिकेश यादव लगभग 07-08 वर्ष पूर्व सामान्य आर्थिक क्षमता का व्यक्ति था, परंतु अल्पावधि में ही अपराध जगत से अर्जित संपत्ति छुपाने के उद्देश्य से अपने भाई अवधेश यादव के नाम से एक मोटरसाइकिल वाहन रिजस्ट्रेशन नं0 UP54 AM 9815 (मूल्यांकन राशि 60,000/-) क्रय किया गया।

➡अभियुक्त हरिकेश यादव के भाई अवधेश के पास आय का इतना बड़ा स्रोत नहीं था। पेशे से प्राइवेट ड्राइवर है, जिसकी आय इतनी नही है कि उक्त मोटर साइकिल खरीद सके।

➡अभियुक्त हरिकेश यादव आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है।

➡ अभियुक्त पर थाना मेंहनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-352/2013 धारा 307/384/506/120बी भादवि व थाना तरवां पंजीकृत मु0अ0सं0- 20/2014 धारा 147/148/149/302/307/506/120बी भादवि तथा मु0अ0सं0- 160/2020 धारा धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया- कलाप निवारण अधिनियम 1986 में संबंधित गंभीर अपराध सम्मिलित हैं।

उपरोक्त सम्पत्ति की कुल कीमत 60,000/- रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 17.06.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा थानाध्यक्ष तरवां, आजमगढ़ को उक्त सम्पत्ति को नियमानुसार कुर्क करने आदेश दिया गया है।